BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 1107 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Manoj Tyagi & Ors ...Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh ....Respondent(s)

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Additional Affidavit Of District Magistrate Pilibhit in compliance of order dated 16.12.2024 passed by this Hon'ble Tribunal.	
2.	**ANNEXURE R-1** Copy of order dated 16.12.2024 passed by this Hon'ble Tribunal	
3.	**ANNEXURE R-2** Copy of order dated 14.02.2024 passed by the Sub Divisional Magistrate Pilibhit	
4.	**ANNEXURE R-3** Copy of order dated 29.02.2024 passed by the Additional Commissioner Administration Bareilly	
5.	**ANNEXURE R-4** Copy of additional inspection report dated 07.01.2025	
6.	**ANNEXURE R-5** Copy of relevant revenue record	

Ankit Verma FILED THROUGH

(ANKIT VERMA)
STANDING COUNSEL STATE OF UP
A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI- 110013
MOB:- 0999080440 Email-ankit.scngtup@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 1107 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Manoj Tyagi & Ors .Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh ...Respondent(s)

ADDITIONAL AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE PILIBHIT IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 16.12.2024 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

The Respondent Herein states as under

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Sanjay Kumar Singh aged about 56 years, S/o Dr. Ram lal Singh presently posted as District Magistrate District Pilibhit, Uttar Pradesh, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under: -

That I am above mentioned authorized officer of the answering Respondent and is duly competent to file the present affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.

1. That the Deponent has read and understood the contents of the present affidavit. The averments made in the Original Application which are not specifically admitted hereunder must be considered to have been denied by the Deponent

q

2. That the deponent is posted as District Magistrate Pilibhit since 1st February 2024.

3. That this Hon'ble Tribunal vide order dated 16.12.2024 was pleased to pass the following directions:

   8"………In these facts and circumstances, the Joint Committee is directed to make further verification of facts and submit its report with regard to aspects highlighted above along with copies of the relevant Revenue Record as well as other relevant documents……….."A copy of order dated 16.12.2024 passed by this Hon'ble Tribunal is annexed herewith and marked as **Annexure R-1**

4. That the present additional affidavit is being filed in respectful compliance of the order dated 16.12.2024 passed by this Hon'ble Tribunal.

5. That in compliance of order dated 16.12.2024 passed by this Hon'ble Tribunal, the joint committee which was constituted by the office order dated 28.11.2024 issued by the deponent again inspected both the gatas no 148 (1.007 ha) and Gata no 1282/1 (0.975 ha) on 07.01.2025 and re verified the available revenue records.

6. That during the inspection, the committee was informed by the officials of the Revenue Department that Gram Desh Nagar Andar Chungi situated at Gata No.1282/1 admeasuring area of 0.975 hectare is recorded as submerged land under category 6(1) and is pond. Earlier entries were done under category 3 and it came to be recorded in the name of few lease holders Which was valid only for five years.

7. That the entries which were done in the name of lease holders was cancelled by the order dated 14.02.2024 passed by the Sub Divisional Magistrate Pilibhit and the aforesaid gata no. was again restored and recorded as pond in the revenue records as it was earlier under category 6(1) of the UP land records manual. A copy of order dated 14.02.2024 passed by the Sub Divisional Magistrate Pilibhit is annexed herewith and marked as **Annexure R-2.**

8. That being aggrieved by the cancellation order dated 14.02.2024 passed by the Sub Divisional Pilibhit, the lease holders preferred an appeal no.C202412000000345 titled as Sanjeev Kumar and Ors v/s State before the Additional Commissioner Administration Bareilly, wherein the order dated 14.02.2024 passed by the Sub Divisional Magistrate was upheld vide order dated 29.02.2024 . A copy of order dated 29.02.2024 passed by the Additional Commissioner Administration Bareilly is annexed herewith and marked as **Annexure R-3.**

9. That the Revenue Officials further informed the joint committee that the gata no. 1282/1 has been recorded as pond in the revenue records on which one illegal hut was made by lease holder Sanjeev Kumar and others which was removed on 14.10.2024. During the inspection which was conducted on 07.01.2025, no illegal hut was found.

10. That it is further submitted that as per the information submitted by the revenue officials it was revealed that the said gata no.(1282/1) was never given on lease for fish farming.

11. That the additional inspection report dated 07.01.2025 submitted by the joint committee to the deponent is annexed herewith and marked as **Annexure R-4.**

12. That the copy of relevant revenue record pertaining to gata no.(1282/1) is annexed herewith and marked as **Annexure R-5.**

13. That in the interest of justice the additional affidavit may be taken on record by this Hon'ble Tribunal.

Verification

I, the deponent above named do hereby verify and state that the contents of the foregoing paragraphs of the above application are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed there from. On this day of 13th Janaury , 2025.

DEPONENT

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 1107 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Manoj Tyagi & Ors ....Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh ....Respondent(s)

AFFIDAVIT

I, Sanjay Kumar Singh S/o Ram lal Singh aged about 56 years presently posted as District Magistrate Pilibhit, Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and declare as under-

1. That I am fully acquainted with the facts and circumstances and records of the case and thus competent to swear the present affidavit.

2. That the contents of the accompanying reply have been prepared under my instructions and have been understood by me and I declare the same to be true and correct to my knowledge of facts and law.

3. The contents as stated above are true and correct to my knowledge and belief.

Verification

It is verified at Pilibhit on 13th Janaury 2025 that the contents of the present application are true and correct and nothing has been concealed there from.

DEPONENT

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

ANNEXURE R-1

Item No. 12

Court No. 2

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 1107/2024

Manoj Tyagi and Ors — Applicants

Versus

State of Uttar Pradesh & Others. — Respondents

Date of hearing: 16.12.2024

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER**
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicants: Applicant in person.

Respondents: Mr. Ankit Verma, Advocate for State of U.P.
Ms. Sthavi Asthana, Advocate for UPPCB (through VC).

ORDER

1. In compliance of order dated 14.11.2024, report of Joint Committee has been filed by the District Magistrate, Pilibhit vide affidavit dated 10.12.2024.

2. We have gone through the report of the Joint Committee with respect to Issue No.1 regarding illegal cutting of trees. The Joint Committee has submitted that the trees were cut in accordance with permission granted.

3. With respect to Issues No.2 and 3, the Joint Committee has mentioned that both Gata no. 148 (1.007 ha) and Gata no 1282/1 (0.975 ha) exist on spot as 'pond' and there is no encroachment over the same.

4. The Joint Committee relied on the verification made by representative of the Revenue Department on the spot but name of the representative has not been mentioned. The copy of the relevant Revenue record has also not been produced.

5. In its report, the Joint Committee has mentioned about cancellation of Entries in favour of *Khatedar* by the Court of SDM, Sadar, Pilibhit vide order dated 14.02.2024 but it has not been mentioned whether any appeal/revision has been filed against the said order or not.

6. In its report, the Joint Committee has mentioned that Gata No. 1282/1 (0.975 ha) exists as 'pond' but at the same time, Joint Committee has mentioned that one hut of the lessee existed on above said Gata which was removed on 14.10.2024. No details regarding lease and removal of hut have been given.

7. The complainant had alleged that above said pond had been given on lease for fish farming but the Joint Committee has not responded as to whether said pond has been given on lease for fish farming.

8. In these facts and circumstances, the Joint Committee is directed to make further verification of facts and submit its report with regard to aspects highlighted above along with copies of the relevant Revenue Record as well as other relevant documents.

9. Additional report of the Joint Committee be filed at least one week before next date of hearing.

10. List on 22.01.2025 for further hearing.

11. A copy of this order be forwarded to the District Magistrate, Pilibhit and the Member Secretary, UPPCB by email for requisite compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

December 16, 2024
Original Application No. 1107/2024
AB

ANNEXURE R-2

न्यायालय : - उपजिलाधिकारी
मण्डल :बरेली , जनपद :पीलीभीत , तहसील :पीलीभीत
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202312560103211
वाद संख्या:- 3211/2023
सरकार बनाम राममूर्तिलाल आदि
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 38(2)
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 14/02/2024

प्रश्नगत वाद तहसीलदार सदर पीलीभीत द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनंाक15.06.2023 के आधार पर योजित हुआ। तहसीलदार सदर पीलीभीत द्वारा अपनी आख्या दिनांक 15.06.2023 में अवगत कराया गया कि ग्राम देशनगर अन्दर चुंगी परगना तहसील व जिला पीलीभीत की खतौनी फसली वर्ष 1425-1430 के खाता संख्या 00262 पर गाटा सं0 1282/1 रकवा 0.975हे0 पर श्रेणी-3 में राममूर्तिलाल व कमलेश बाबू व पप्पू व झम्मनलाल व शेर सिंह व धर्मेन्द्र पुत्रगण शंकरलाल निवासी मोहल्ला खैरूल्ला शाह पीलीभीत के नाम आसामी पट्टेदार के रूप में दर्ज अभिलेख है। उक्त गाटा जलमग्न भूमि है। उपरोक्त गाटे के खातेदारों को खतौनी फसली वर्ष 1380 से भौमिक अधिकार प्रारम्भ हुआ है। श्रेणी-3 का पट्टा अधिकतम 5 वर्ष के लिये होता है। उक्त पट्टे की अवधि खतौनी में अंकित भौमिक वर्ष के अनुसार 50 वर्ष हो गये है। 1378 फसली के खसरे के कॉलम नं0 18 में उक्त गाटा तालाब अंकित है तथा मौके पर भी तालाब है। गाटा सं0 1282/1 रकवा 0.975हे0 पर अंकित राममूर्तिलाल व कमलेश बाबू व पप्पू व झम्मनलाल व शेर सिंह व धर्मेन्द्र पुत्रगण शंकरलाल निवासी मोहल्ला खैरूल्ला शाह पीलीभीत को श्रेणी-3 आसामी पट्टे से निरस्त करने तथा उक्त भूमि को पूर्ववत् तालाब के खाते में दर्ज करने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रस्तुत की गयी।

दिनंाक 07.08.2023 को शेरसिंह पुत्र शंकरलाल, विनोद कुमार, प्रमोद कुमार, संजीव कुमार पुत्रगण झम्मनलाल की ओर से प्रारंम्भिक आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसमें उनके द्वारा कथन किया गया कि उक्त मुकदमा का एक संयुक्त नोटिस तामील उक्त कि पक्षीगण पर कराया गया है। किसी गलती व चूकवश हल्का लेखपाल ने जो रिपोर्ट तहसीलदार सदर के समक्ष प्रस्तुत की है उसमें मृतक खातेदारों के नाम लिखे गये है जबकि विपक्षी राममूर्ति, कमलेश, पप्पू व झम्मनलाल मर चुके है। आपत्तिकर्तागण ने हल्का लेखपाल को मौखिक व लिखित रूप से पहले ही सूचित कर दिया था कि राममूर्ति, कमलेश, पप्पू व झम्मन काफी पहले मर चुके है। लेखपाल महोदय ने जॉच दी कि किसी समय खतौनी का मौखिक सत्यापन करके मृतक खातेदार के वारिसान के नाम खतौनी पर अंकित कर दिये जायेगे। वादान्तर्गत गाटा सं0 1282/1 रकवा 0.9750हे0 लगान 20.80 रू0 श्रेणी-3 की मौसमी आसामी स्थायी भूमि है जिस पर 100 वर्षो से मत्स्य पालन कार्य होता चला आ रहा है। उक्त भूमि पट्टेवाली भूमि नही है बल्कि मौरूसी स्थायी आसामी श्रेणी की भूमि है जो 100 वर्षो से मालिक एवं वारिसान के नाम दर्ज खतौनी चली आ रही है। वादान्तर्गत भूमि का लगान सरकार को अदा करते आ रहे है अतः आपत्तिकर्तागण मृतक खातेदारान का नाम सरकारी अभिलेखों से निरस्त करने योग्य नही है। नवीनतम संशोधित कानून के अनुसार हम उज्रदारान व अन्य खातेदार उक्त भूमि के संक्रमणीय भूमिधर हो चुके है। उक्त वर्णित परिस्थितियों में उक्त परिवाद मुकदमा बतौर खतौनी इन्द्राजात दुरूस्त किये जाने योग्य नही है। लेखपाल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट व आख्या तहसीलदार कानून एवं विधि विरूद्ध है। लेखपाल रिपोर्ट दुरूस्त किये जाने योग्य है, लेखपाल को उक्त आपत्ति एवं तथ्यो के अनुसार पुनः रिपोर्ट हेतु वापस किये जाने योग्य है।

दिनांक 05.02.2024 को क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा न्यायालय द्वारा प्रेषित पत्र संख्या-25/राज0अह0-2024 दिनंाक-02.01.2024 के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि ग्राम देशनगर अन्दर चुंगी में स्थित गाटा सं0 1282/1 रकवा 0.975हे0 के सम्बन्ध में ग्राम देशनगर अन्दर चुंगी वस्ते का मुआयना अभिलेखागार मे मेरे द्वारा किया गया उपरोक्त गाटा सं0 1282/1 रकवा 0.975हे0 (2.40रू0) भूमि खतौनी फसली वर्ष 1358 में खाता सं0 308 पर बतौर तालाब दर्ज अभिलेख है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है। आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी। क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा दिनांक 05.02.2024 को उपरोक्त वाद से

सम्बन्धित मृतक प्रतिवादीगण मृतक राममूर्तिलाल पुत्र शंकर लाल, झम्मनलाल पुत्र शंकर लाल, कमलेश बाबू पुत्र शंकर लाल, पप्पू पुत्र शंकरलाल के विधिक वारिस के सम्बन्ध में

आख्या प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि मृतक राममूर्तिलाल पुत्र शंकर लाल निवासी मो0 खेरूल्लाशाह पीलीभीत के विधिक वारिस अजय कुमार व विजय कुमार व अर्जुन व अंकुर कुमार पुत्रगण राममूर्तिलाल निवासी मो0 खेरूल्लाशाह हाल निवासी हल्द्वानी उत्तराखण्ड, मृतक झम्मनलाल पुत्र शंकर लाल निवासी मो0 खेरूल्लाशाह के विधिक वारिस संजीव कुमार व प्रमोद कुमार व विनोद कुमार पुत्रगण झम्मनलाल निवासी मो0 खेरूल्लाशाह हाल निवासी मो0 देशनगर आई0टी0आई0 के पास पीलीभीत, मृतक कमलेश बाबू पुत्र शंकर लाल निवासी खेरूल्लाशाह के विधिक वारिस दो पुत्रिया है जिनकी शाही हो चुकी है। एक पुत्री ममता देवी निवासी ग्राम खमरियापुल एवं दूसरी पुत्री की जानकारी नही हुई है। मृतक पप्पू पुत्र शंकरलाल निवासी खेरूल्लाशाह के विधिक वारिस धर्मेन्द्र व शेरसिंह पुत्रगण शंकरलाल निवासी खेरूल्लाशाह पीलीभीत हाल निवासी आई0टी0आई0 के पास पीलीभीत है कहते हुए आख्या प्रस्तुत की गयी।

दिनं०ाक 05.02.2024 को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति दिनं०ाक 05.08.2023 के विरूद्ध प्रतिआपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया कि आपत्ति दिनं०ाक 05.08.2023 के प्रस्तर 1 लगायत 9 मे कह गये कथन असत्य व भ्रामक होने के कारण अस्वीकार है। वादग्रस्त गाटा सं0 1282/1 रकवा 0.975हे0 स्थित ग्राम देशनगर अन्दर चुंगी परगना तहसील व जिला पीलीभीत तालाब भूमि है जो ग्राम के स्थाई खसरा वर्ष 1378 फसली में तालाब के रूप में अंकित है। वादग्रस्त भूमि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 77(1) में वर्णित सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित श्रेणी की भूमि है, उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के भूमिधरी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। वादग्रस्त भूमि पर फसली वर्ष 1380 से राममूर्तिलाल आदि का नाम श्रेणी-3 के अन्तर्गत आसामी के रूप में अध्यासित व्यक्तियों के रूप में अवैध रूप से अंकित है। ग्राम सभा द्वारा प्रतिवादीगण राममूर्तिलाल के पक्ष में कभी भी कोई पट्टा निष्पादित नही किया गया है। वर्तमान खतौनी के खाता सं0 00262 पर अंकित प्रतिवादीगणों के नाम की पृवष्टि छल साधित व षड़यन्त्र का प्रतिफल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगणों का नाम निरस्त कर भूमि अपने मूल प्रकृति तालाब भूमि के रूप में श्रेणी-6(1) जलमग्न भूमि के अन्तर्गत दर्ज किये जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में क्षेत्रीय लेखपाल व तहसीलदार सदर पीलीभीत की आख्या दिनं०ाक 15.06.2023 विधि सम्मत होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य है। श्रीमान जी के न्यायालय को प्रश्नगत खाता सं0 00262 पर उपलब्ध छल साधित पृवष्टि को निरस्त कर अभिलेख दुरूस्त करने का पूर्ण न्यायिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उपरोक्त वर्णित आधारों पर क्षेत्रीय लेखपाल एवं तहसीलदार सदर पीलीभीत की आख्या दिनं०ाक 15.06.2023 स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त गाटा सं0 1282/1 रकवा 0.975हे0 स्थित ग्राम देशनगर अन्दर चुंगी पर अंकित प्रतिवादीगण राममूर्तिलाल आदि की छल साधित पृविष्टि निरस्त करते हुए गाटा सं0 1282/1 रकवा 0.975हे0 श्रेणी-6(1) जलमग्न भूमि-तालाब में अंकित करने हेतु अवगत कराया गया।

दिनांक 12.02.2024 को वाद पत्रावली सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व द्वारा राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा गया कि वाद में प्रश्नगत गाटा सं0 1282/1 रकवा 0.975हे0 स्थित ग्राम देशनगर अन्दर चुंगी परगना तहसील व जिला पीलीभीत श्रेणी 6(1) जलमग्न भूमि-तालाब भूमि है। ग्राम के खसरे के स्तम्भ संख्या 18 व 19 में असंचित भूमि के रूप में प्रश्नगत भूमि की नवैय्यत के रूप में तालाब अंकित है। जिससे सिद्ध है कि प्रश्नगत गाटा सं0 मौके पर भी तालाब के रूप में विद्यमान है। इस प्रकार की भूमियां० के सम्बन्ध में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग-5 की ओर से पत्र संख्या-जी408/5-01(अति0)/2017 दिनांक 10.10.2017 को शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार "जिन भूखण्डों के यूनिक कोड के अन्तिम दो अंक 12 अथवा 62 ही है, उनका क्रय-विक्रय अथवा अन्तरण किया जाना नियमानुसार सम्भव नही है।" प्रश्नगत गाटा सं0 का यूनिक कोड 2175311282100131 है जो अहस्तांतरणीय श्रेणी का है।

इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या-4063/5 दिनं०ाक 19.06.2006 में मा0 राजस्व परिषद द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर अवैध/अनियमित रूप से दर्ज चले आ रहे श्रेणी-3 आसामी एवं श्रेणी-4 अवैध कब्जेदार की प्रवृष्टि को निरस्त कर भूमि ग्राम सभा के नाम दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में भी निर्देशित किया गया है।

तद्‌ानुसार ही तहसीलदार सदर द्वारा तथ्यो को अपनी आख्या दिनांक 15.06.2023 में स्पष्ट किया गया है। तहसीलदार सदर पीलीभीत द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 15.06.2023 विधिसम्मत होने के कारण स्वीकार की जाये।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न लेखपाल आख्या दिनांक 05.02.2024 से स्पष्ट है कि ग्राम देशनगर अन्दर चुंगी की 1358 फसली खतौनी के खाता सं0 308 पर प्रश्नगत गाटा सं0 1282/1 रकवा 0.975हे0 (2.40ए0) तालाब अंकित है। इस प्रकार विवादित भूमि मूल रूप से जलमग्न तालाब भूमि है जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 77(1) में वर्णित भूमि है। प्रतिवादीगणों को साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगणों द्वारा अपने साक्ष्य में ऐसा कोई विश्वसनीय अभिलेख न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह सिद्ध होता हो कि विवादित भूमि का नियमानुसार आवंटन प्रतिवादीगणों के पक्ष में किया गया हो। प्रतिवादीगण अभिलेखीय साक्ष्यों से यह भी सिद्ध करने में असफल रहे है कि विवादित भूमि पर उनके नाम की पृविष्टि नियमानुसार उचित मानी जाये। प्रस्तुत वाद में यह तथ्यनिर्विवाद रूप से स्थापित है कि विवादित गाटा सं0 1282/1 तालाब भूमि है तथा 1378 फसली के खसरा अभिलेख तथा वर्तमान खसरे के स्तम्भ 18 व 19 में भी उसी अनुसार तालाब दर्ज है। वादग्रस्त भूमि मौके पर भी तालाब के रूप में विद्यमान है जिसकी पुष्टि लेखपाल द्वारा अपनी आख्या में की गयी है। "मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-4787/2001 हिंच लाल तिवारी बनाम कमला देवी व अन्य तथा सिविल अपील संख्या-1132/2011 जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य के साथ-साथ मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या-38910/2013 इकबाल अहमद व अन्य बनाम डी0डी0सी0 देवरिया में पारित आदेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार तालाब/पोखर/धौला आदि के प्राकृतिक स्वरूप में कोई परिर्वतन नही किया जायेगा, बल्कि तालाब/पोखर/धौला आदि का प्राकृतिक स्वरूप एवं जल संचयन की क्षमता तथा नैसर्गिक जल प्रभाव को यथावत बनाये रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।" उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में तहसीलदार सदर पीलीभीत द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 15.06.2023 स्वीकार किया जाना उचित होगा।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 05.08.2023 निरस्त की जाती है। तहसीलदार पीलीभीत की आख्या दिनांक15.06.2023 स्वीकार कर जाती है। वर्तमान खतौनी गाटा सं0 1282/1 रकवा 0.975हे0 पर अंकित प्रतिवादीगण शेर सिंह आदि का नाम निरस्त करते हुए भूमि को श्रेणी-6(1) जलमग्न भूमि-तालाब में अंकित किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार सदर पीलीभीत को राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद हेतु प्रेषित हो। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक-14.02.2024

(देवेन्द्र सिंह)
उपजिलाधिकारी सदर,
पीलीभीत।

उक्त निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक-14.02.2024

(देवेन्द्र सिंह)
उपजिलाधिकारी सदर,
पीलीभीत।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी।

वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

ANNEXURE R-3

न्यायालय : - अपर आयुक्त,प्रशासन
मण्डल :बरेली
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- C202412000000345
वाद संख्या:- 345/2024
संजीव कुमार आदि बनाम सरकार आदि
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 38(4)
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 29/02/2024

निर्णय

उक्त अपील उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 38(4) के अन्तर्गत उप जिलाधिकारी सदर जनपद पीलीभीत द्वारा वाद संख्या-टी-202312560103211, सरकार बनाम राममूर्तिलाल आदि, अंतर्गत धारा 38(2) उ0प्र0 राजस्व संहिता में पारित आदेष दिनांक 14-02-2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में योजित की गयी है।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता पर विस्तार से सुना गया तथा अपील में वर्णित आधारों एवं आक्षेपित आदेष का सम्यक् अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर रक्षित आक्षेपित आदेष दिनांक 14-02-2024 के अवलोकन से स्पश्ट होता है कि अवर न्यायालय द्वारा धारा 38(2) उ0प्र0 राजस्व संहिता की प्रचलित वाद कार्यवाही में तहसीलदार सदर पीलीभीत की आख्या दिनांक 15-06-2023 के आधार पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई है, जिसमें विवादित भूमि गाटा संख्या-1282/1 रकवा 0.975हे0 पर अंकित अपीलकर्ता के पूर्वजों का नाम श्रेणी-3 आसामी के रूप में अंकित होने व आवंटन की निर्धारित अवधि समाप्त होने के कारण भूमि पूर्व की भॉति तालाब के खाते में दर्ज करने की संस्तुति की गयी है। अवर न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत की गयी है तथा क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अपनी आख्या में उल्लिखित किया गया है कि विवादित भूमि 1358 फसली में खाता संख्या-308 पर बतौर तालाब दर्ज है। स्पश्ट है कि विवादित भूमि धारा 77 उ0प्र0 राजस्व संहिता के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि के रूप में आरक्षित है, जिस पर किसी को भौमिक अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। अतः श्रेणी 3 के रूप में अंकित आसामी अध्यासियों का नाम अवैध रूप से अंकित होने व भूमि सार्वजनिक प्रयोजन तालाब भूमि होने के कारण अपीलकर्तागण का नाम निरस्त करते हुये भूमि श्रेणी 6(1) जलमग्न तालाब आक्षेपित आदेष दिनांक 14-02-2024 के अन्तर्गत अंकित की गयी है। अपीलीय स्तर पर आक्षेपित आदेष में किसी हस्तक्षेप की आवष्यकता परिलक्षित नहीं होती है। आक्षेपित आदेष अपीलकर्ता को सुनवाई/आपत्ति का अवसर प्रदान करने के उपरान्त पारित किया गया है। अपील बलहीन है और निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रस्तुत अपील ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। इस न्यायालय की पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त अभिलेखागार संचित की जाये।

दिनांक: 29-02-2024

(अरूण कुमार)

अपर आयुक्त (प्रशासन)

बरेली मण्डल, बरेली।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

ANNEXURE R-4

जिलाधिकारी,
पीलीभीत।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0–1107/2024 " मनोज त्यागी व अन्य बनाम् स्टेट ऑफ यू0पी0" में पारित आदेश दिनांक 16.12.2024 के अनुपालन में आपके द्वारा गठित संयुक्त समिति के द्वारा पुनः दिनांक 07.01.2025 को स्थलीय निरीक्षण किया गया।

स्थलीय निरीक्षण उपरांत संयुक्त समिति की आख्या संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(सुनील सिंह चौहान)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, बरेली।

(चन्द्रेशकुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, बरेली।

(अंजनी कुमार श्रीवास्तव)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
पीलीभीत।

07.01.25
(महिपाल सिंह)
उप जिलाधिकारी,
सदर, पीलीभीत।

7/1/25
(विजय वर्धन तोमर)
नगर मजिस्ट्रेट,
पीलीभीत।

07.01.25
(संजय कुमार सिंह)
जिलाधिकारी
पीलीभीत

<u>मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0–1107/2024 "मनोज त्यागी व अन्य बनाम् स्टेट ऑफ यू0पी0" में पारित आदेश दिनांक 16.12.2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी पीलीभीत द्वारा पूर्व में गठित संयुक्त समिति की स्थल निरीक्षणोपरांत वांछित बिन्दुओं पर संयुक्त समिति की आख्या।</u>

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0–1107/2024 "मनोज त्यागी व अन्य बनाम् स्टेट ऑफ यू0पी0" में पारित आदेश दिनांक 14.11.2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी पीलीभीत द्वारा नगर मजिस्ट्रेट, पीलीभीत को नोडल अधिकारी नामित करते हुये निम्नानुसार जॉच कमेटी का गठन किया गया:–

क्र0सं0	सम्बंधित विभाग/अधिकारी	पदनाम
1	नगर मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।	नोडल अधिकारी
2	उप जिलाधिकारी, सदर, पीलीभीत।	सदस्य
3	उप प्रभागीय वनाधिकारी, पीलीभीत।	सदस्य
4	क्षेत्रीय अधिकारी/सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।	सदस्य

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा ओ0ए0 नं0–1107/2024 "मनोज त्यागी व अन्य बनाम् स्टेट ऑफ यू0पी0" में पारित आदेश दिनांक 16.12.2024 के बिन्दु संख्याः 08 में यह निर्देश दिये गये हैं कि संयुक्त समिति आदेश में दिये गये तथ्यों की पुनः जॉच कर जॉच आख्या अभिलेखों सहित प्रस्तुत करेगी। तत्क्रम में संयुक्त समिति के द्वारा दिनांक 07.01.2025 को पुनः स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं तथ्यों/अभिलेखों की जॉच की गयी।

प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक 19.01.2024 में अंकित दूरभाष नम्बर 8454955555 पर कॉल कर सम्पर्क किया गया तो उक्त दूरभाष नम्बर इण्डेन गैस की बुकिंग सर्विस का पाया गया। जॉच आख्या निम्नवत हैः–

आदेश के बिन्दु संख्याः 4–(क) संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय के उप प्रभागीय वनाधिकारी, पीलीभीत द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्यालय प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत द्वारा दिनांक 06.12.2023 को कलमी प्रजाति के खड़े आम के 48 पेड़ो को पातन के सम्बंध में अनापत्ति प्रदान की गयी थी। तदोपरांत गाटा सं0 1202/3/1 के सहखातेदार नसरीन बी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका 485/2024 नसरीन बी बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 27.02.2024 के क्रम में खातेदारों द्वारा वृक्षों के उठान की कार्यवाही की गयी।

संयुक्त समिति द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य एवं तथ्यों का अध्ययन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्य एवं तथ्य सही पाये गये। **(अनापत्ति दि0– 06.12.2023 एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दि0– 27.02.2024 की छायाप्रति संलग्न)**

आदेश के बिन्दु संख्याः 4–(ख) संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री धर्मेन्द्र भारती, क्षेत्रीय लेखपाल नगर, श्रीमती शिल्पी जायसवाल, क्षेत्रीय लेखपाल देशनगर, श्री तेजबहादुर, राजस्व निरीक्षक नगर, श्री प्रखर सिंह, नायब तहसीलदार नगर, श्रीमती अर्ची गुप्ता, तहसीलदार सदर, पीलीभीत एवं श्री महिपाल सिंह, उपजिलाधिकारी सदर, पीलीभीत के द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम मुड़िया पनई उर्फ सुनगढ़ी अन्दर चुंगी, पर0 तह0 व जिला पीलीभीत की नान जेड ए0 खतौनी में अंकित नाम मालिकान मिलकियत सरकार जेरे इन्तेजाम नगरपालिका परिषद, पीलीभीत श्रेणी–15 आकृषिक भूमि (1) जलमग्न भूमि की खाता सं0 79 पर स्थित गाटा सं0 148 रकवा 1.007 हे0 बतौर तालाब दर्ज अभिलेख है।

संयुवत समिति द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य एवं राजस्व अधिकारी/कर्मचारी द्वारा बताये गये तथ्यों का अध्ययन किया गया। प्रश्नगत तालाब पर कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया। प्रश्नगत तालाब मौके पर तालाब के स्वरूप में स्थित है। अभिलेखीय साक्ष्य एवं तथ्य स्थलीय निरीक्षण में सही पाये गये। **(खतौनी की छायाप्रति संलग्न)**

पेज 2 पर............

आदेश के बिन्दु संख्याः 4–(ग) संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री धर्मेन्द्र भारती, क्षेत्रीय लेखपाल नगर, श्रीमती शिल्पी जायसवाल, क्षेत्रीय लेखपाल देशनगर, श्री तेजबहादुर, राजस्व निरीक्षक नगर, श्री प्रखर सिंह, नायब तहसीलदार नगर, श्रीमती अर्चीं गुप्ता, तहसीलदार सदर, पीलीभीत एवं श्री महिपाल सिंह, उपजिलाधिकारी सदर, पीलीभीत के द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम देशनगर अन्दर चुंगी, पर0 तह0 व जिला पीलीभीत में स्थित गाटा सं0 1282/1 रकवा 0.975 हे0 बतौर श्रेणी–6(1) जलमग्न भूमि तालाब दर्ज अभिलेख है। उ0प्र0 भू–अभिलेख नियमावली पैरा ए–124 के अन्तर्गत श्रेणियों खतौनी में खातेदारों के जोत में अधिकारों को दर्शाती हैं। श्रेणी–6(1) के अन्तर्गत आरक्षित श्रेणियों की भूमियाँ दर्ज की जाती हैं जैसे– तालाब, पोखर व अन्य जल प्रवाही प्रणालियाँ।

उपरोक्त गाटा सं0 1282/1 रकवा 0.975 हे0 पूर्व में श्रेणी–3 आसामी पटटेदार राममूर्ति लाल, कमलेश बाबू, पप्पू, झम्मन लाल, शेर सिंह व धर्मेन्द्र पुत्रगण शंकर लाल नि0 मो0 खैरूल्ला शाह, पीलीभीत के नाम दर्ज अभिलेख था। श्रेणी आसामी पटट्दार– जिन्हें ग्रामसभा द्वारा अधिकतम पाँच वर्ष के लिये भूमि पटट्े पर दी जाती है। पटट्े की अवधि की समय–सीमा समाप्त हो जाने या शर्तो का उल्लंघन होने पर पटट्ा निरस्त कर आसामी अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

उपरोक्त गाटे के सम्बंध में तहसीलदार सदर, पीलीभीत द्वारा अपनी आख्या दिनांक 15.06.2023 में अवगत कराया गया कि ग्राम देशनगर अन्दर चुंगी, पर0 तह0 व जिला पीलीभीत की खतौनी फसली वर्ष 1425–1430 के खाता संख्या 00262 पर गाटा सं0 1282/1 रकवा 0.975 हे0 पर श्रेणी–3 में राममूर्ति लाल व कमलेश बाबू व पप्पू व झम्मनलाल व शेर सिंह व धर्मेन्द्र पुत्रगण शंकरलाल नि0 मो0 खैरूल्लाशाह पीलीभीत के नाम आसामी पटट्ेदार के रूप में दर्ज अभिलेख है। उक्त गाटा जलमग्न भूमि है। उपरोक्त गाटे के खातेदारों को खतौनी फसली वर्ष 1380 से भौमिक अधिकार प्रारंभ हुआ है। श्रेणी–3 का पटट्ा अधिकतम 5 वर्ष के लिये होता है। उक्त पटंट्े की अवधि खतौनी में अंकित भौमिक वर्ष के अनुसार 50 वर्ष हो गये हैं। 1378 फसली के खसरे के कॉलम नं0 18 में उक्त गाटा तालाब अंकित है तथा मौके पर भी तालाब है। गाटा सं0 1282/1 रकवा 0.975 हे0 पर अंकित राममूर्तिलाल व कमलेश बाबू व पप्पू व झम्मनलाल व शेर सिंह व धर्मेन्द्र पुत्रगण शंकरलाल नि0 मो0 खैरूल्लाशाह पीलीभीत को श्रेणी–3 आसामी पटट्ेदार से निरस्त करने तथा उक्त भूमि को पूर्ववत् तालाब के खाते में दर्ज करने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी। उपरोक्त पट्टा अधिकतम पांच वर्ष के लिए होता है जबकि इसे पचास वर्ष हो गये है, जोकि एक तरह से गैर कानूनी कब्जे के रूप में था जिसे मा0 न्यायालय, उपजिलाधिकारी सदर, पीलीभीत द्वारा सुनवाई उपरांत अपने आदेश दिनांक 14.02.2024 के द्वारा पटट्ेदारों का नाम निरस्त करते हुये पूर्व श्रेणी–6(1) तालाब में दर्ज किया गया।

संयुक्त समिति द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य एवं राजस्व अधिकारी/कर्मचारी द्वारा बताये गये तथ्यों का अध्ययन किया गया। प्रश्नगत तालाब पर कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया। प्रश्नगत तालाब मौके पर तालाब के स्वरूप में स्थित है। अभिलेखीय साक्ष्य एवं तथ्य स्थलीय निरीक्षण में सही पाये गये। **(खतौनी एवं आदेश दि0– 14.02.2024 की छायाप्रति संलग्न)**

आदेश के बिन्दु संख्याः 5– स्थलीय निरीक्षण के समय श्री धर्मेन्द्र भारती, क्षेत्रीय लेखपाल नगर, श्रीमती शिल्पी जायसवाल, क्षेत्रीय लेखपाल देशनगर, श्री तेजबहादुर, राजस्व निरीक्षक नगर, श्री प्रखर सिंह, नायब तहसीलदार नगर, श्रीमती अर्ची गुप्ता, तहसीलदार सदर, पीलीभीत एवं श्री महिपाल सिंह, उपजिलाधिकारी सदर, पीलीभीत के द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम देशनगर अन्दर चुंगी, पर0 तह0 व जिला पीलीभीत में स्थित गाटा सं0 1282/1 रकवा 0.975 हे0 को मा0 न्यायालय, उपजिलाधिकारी सदर,

पेज 3 पर.............

पीलीभीत द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.02.2024 के द्वारा पटट्ेदारों का नाम निरस्त करते हुये पूर्व श्रेणी–6(1) तालाब में दर्ज कर दिया गया था ।

उक्त आदेश दिनांक 14.02.2024 के विरूद्ध पटट्ेदारों द्वारा मा0 न्यायालय, अपर आयुक्त प्रशासन, बरेली मण्डल, बरेली में अपील दाखिल की गयी, जिसकी मूलवाद संख्या: C202412000000345, संजीव कुमार आदि बनाम् सरकार आदि है, जिसको मा0 न्यायालय, अपर आयुक्त प्रशासन, बरेली मण्डल, बरेली द्वारा आदेश दिनांक 29.02.2024 को पूर्व न्यायालय उपजिलाधिकारी के आदेश दिनांक 14.02.2024 को सही मानते हुये पटट्ेदारों की अपील खारिज कर दी गयी, जिसकी आदेश की छायाप्रति संलग्न है।

संयुक्त समिति द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य एवं राजस्व अधिकारी/कर्मचारी द्वारा बताये गये तथ्यों का अध्ययन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्य एवं तथ्य सही पाये गये। **(अपर आयुक्त प्रशासन के आदेश दि0–29.02.2024 की छायाप्रति संलग्न)**

आदेश के बिन्दु संख्या: 6– स्थलीय निरीक्षण के समय श्री धर्मेन्द्र भारती, क्षेत्रीय लेखपाल नगर, श्रीमती शिल्पी जायसवाल, क्षेत्रीय लेखपाल देशनगर, श्री तेजबहादुर, राजस्व निरीक्षक नगर, श्री प्रखर सिंह, नायब तहसीलदार नगर, श्रीमती अर्ची गुप्ता, तहसीलदार सदर, पीलीभीत एवं श्री महिपाल सिंह, उपजिलाधिकारी सदर, पीलीभीत के द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम देशनगर अन्दर चुंगी, पर0 तह0 व जिला पीलीभीत में स्थित गाटा सं0 1282/1 रकवा 0.975 हे0 तालाब में दर्ज अभिलेख है, जिस पर पटट्ेदार के वारिस संजीव कुमार आदि द्वारा अवैध रूप से झोपड़ी डाली हुयी थी, जिसको दिनांक 14.10.2024 को हटवाकर नगरपालिका परिषद, पीलीभीत को सुपुर्द कर दिया गया था।

संयुक्त समिति द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य एवं राजस्व अधिकारी/कर्मचारी द्वारा बताये गये तथ्यों का अध्ययन किया गया। मौके पर झोपड़ी नहीं पायी गयी। अभिलेखीय साक्ष्य एवं तथ्य स्थलीय निरीक्षण में सही पाये गये।

आदेश के बिन्दु संख्या: 7– स्थलीय निरीक्षण के समय श्री धर्मेन्द्र भारती, क्षेत्रीय लेखपाल नगर, श्रीमती शिल्पी जायसवाल, क्षेत्रीय लेखपाल देशनगर, श्री तेजबहादुर, राजस्व निरीक्षक नगर, श्री प्रखर सिंह, नायब तहसीलदार नगर, श्रीमती अर्ची गुप्ता, तहसीलदार सदर, पीलीभीत एवं श्री महिपाल सिंह, उपजिलाधिकारी सदर, पीलीभीत के द्वारा अवगत कराया गया कि गाटा सं0 1282/1 रकवा 0.975 हे0 पूर्व में श्रेणी–3 आसामी पटटेदारों के नाम दर्ज अभिलेख था। उपरोक्त गाटे को मा0 न्यायालय, उपजिलाधिकारी सदर, पीलीभीत द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.02.2024 के द्वारा पटट्ेदारों का नाम निरस्त करते हुये पूर्व श्रेणी–6(1) तालाब में दर्ज कर दिया गया तथा पटट्ेदारों को मत्स्य पालन हेतु कोई पटटा आवंटन नहीं किया गया था, जिस पर पटट्ेदार के वारिस संजीव कुमार आदि द्वारा अवैध रूप से झोपड़ी डाली हुयी थी, जिसको दिनांक 14.10.2024 को हटवाकर नगरपालिका परिषद, पीलीभीत को सुपुर्द कर दिया गया था। वर्तमान में गाटा सं0 1282/1 रकवा 0.975 हे0 तालाब को मछली पालन हेतु पट्टे(लीज) पर नहीं दिया गया है।

संयुक्त समिति द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य एवं राजस्व अधिकारी/कर्मचारी द्वारा बताये गये तथ्यों का अध्ययन किया गया। मौके पर तालाब में मछली पालन नहीं किया जा रहा है। अभिलेखीय साक्ष्य एवं तथ्य स्थलीय निरीक्षण में सही पाये गये।

उपरोक्त आख्या मा0 अधिकरण के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में सुलभ संदर्भ हेतु प्रस्तुत है।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, बरेली।	क्षेत्रीय अधिकारी/ उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, बरेली।	उप प्रभागीय वनाधिकारी, पीलीभीत।

(महिपाल सिंह) उप जिलाधिकारी, सदर, पीलीभीत।	7/1/25 (विजय वर्धन तोमर) नगर मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

ANNEXURE R-5

कार्यालय प्रभागीय निदेशक वन एवं वन्यजीव प्रभाग पीलीभीत
पत्रांक– 99 बिक्रय / 37–15, पीलीभीत, दिनांक 06/12/2023

सेवा में,

श्रीमती नसरीन बी पत्नी श्री अशरफ नूर,
निवासी–मोहल्ला–मोहम्मद वासिल,
तहसील व जिला–पीलीभीत।

विषय :– कलमी आम की पातन अनुमति के सम्बन्ध में।

श्रीमती नसरीन बी पत्नी श्री अशरफ नूर, निवासी–मोहल्ला मोहम्मद वासिल, तहसील व जिला–पीलीभीत के ग्राम–देशनगर अन्दर चुंगी, तहसील व जिला–पीलीभीत के निजी भूमि गाटा सं0–1202/3/1 रकवा–1.532 में खड़े आम प्रजाति के 48 (अड़तालीस) अदद वृक्षों के पातन हेतु इस कार्यालय से अनुमति चाही है। उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक–1688/37–15 दिनांक–02.12.2023 द्वारा वृक्षों की प्रजाति के पुष्टि हेतु जिला उद्यान अधिकारी, पीलीभीत से आख्या चाही गयी। जिला उद्यान अधिकारी, पीलीभीत द्वारा अपने पत्रांक–942/आ0वृ0पा0/2023–24 दिनांक–06.06.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदक अंश भाग में खड़े आवेदित 48 (अड़तालीस) आम वृक्ष कलमी प्रजाति के है।

चूँकि उत्तर प्रदेश शासन,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5 लखनऊ की शासनादेश सं0–24/81–5–2020–07–93 दिनांक–07.01.2020 के प्राविधान के अनुसार आम की कलमी प्रजाति के कटान हेतु कोई प्रतिबन्ध नही है।

अतः उक्त प्रकरण में आप अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करें।

(संजीव कुमार)
प्रभागीय निदेशक
वन एवं वन्यजीव प्रभाग पीलीभीत

पत्रांक–99 बिक्रय/37–15, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः1–उप जिलाधिकारी, पीलीभीत को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः2–उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः3–थानाध्यक्ष, कोतवाली को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः4–क्षेत्रीय वनाधिकारी, पीलीभीत को सूचनार्थ प्रेषित।

(संजीव कुमार)
प्रभागीय निदेशक
वन एवं वन्यजीव प्रभाग पीलीभीत

Kalmi Aam ki nikasi

Scanned with OKEN Scanner

Neutral Citation No. - 2024:AHC:34397-DB

Court No. - 39

Case :- WRIT - C No. - 485 of 2024

Petitioner :- Nasrin B
Respondent :- State Of Up And 5 Other
Counsel for Petitioner :- Suneel Kumar
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Saumitra Dayal Singh,J.
Hon'ble Surendra Singh-I,J.

1. Upon written instructions received from respondent nos. 2 and 3, Shri Mukul Tripathi, learned Standing Counsel states that no impediment has been created by the State-respondents to restrain the petitioner from felling 42 old (grafted) mango trees.

2. In view of such statement made, the writ petition is **disposed of** in terms thereof.

Order Date :- 27.2.2024
SA

(Surendra Singh-I, J.) **(S.D. Singh, J.)**

Digitally signed by :-
SALMAN ALI
High Court of Judicature at Allahabad

उद्धरण खतौनी N.Z.A

ग्राम मु० फ०ऊर्ज सु०अ० चौकी परगना ......प...... तहसील पीलीभीत ...... जिला पीलीभीत

मुहाल.......................... वावत सन् फसली–

खाता खतौनी संख्या	खातेदार का नाम/पितृनाम तथा निवास स्थान	मौमिक अधिकारों का वर्ष	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	लगान नकदी	लगान जिन्सी	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
	नाम मालिकान – मिलकियत सरकार जेरे इन्तजाम नगर पालिका परिषद						
79	श्रेणी-15 अकृषिक भूमि (1) जल मग्न भूमि तालाब	—	148	1.007	—	—	—

सत्य प्रतिलिपि सरकारी कार्य हेतु

10-11-2024
(धर्मेन्द्र भारती)
लेखपाल

9

उद्धरण खसरा NZA

ग्राम- मुडिया एनई कर्न सु० अ० जुंगी परगना- व तहसील- पीलीभीत जिला- पीलीभीत फसल वर्ष-

खेत की प्रचलित संख्या	क्षेत्रफल हे. में	मुस्तकिल का नम्बर	खाते की खतौनी सं०	खतौनी के भाग-1 के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग 2 के अनुसार नाम	सिंचाई के साधन	कृषित भूमि का क्षेत्रफल									दो फसली भूमि		अकृषित भूमि		खेत में खड़े हुये वृक्षों की संख्या	विवरण
							खरीफ			रबी			जायद								
							फसल का नाम	सिंचित	असिंचित	फसल का नाम	सिंचित	असिंचित	फसल का नाम	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	नाम	रकबा		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
148	1.007	31क	76	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	तालाब भट्टा	1.007	—	—

सत्य प्रतिलिपि
केवल सरकारी कार्य हेतु।

30.11.2024
(धर्मेन्द्र भारती)
लेखपाल

BHULEKH
Uttar Pradesh

Hindi

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

14/Jan/2025 14:28:53

ग्राम क्रमांक : 217531 ग्राम का नाम (परगना) : देशनगर अन्दर चुंगी (पीलीभीत) तहसील : पीलीभीत जनपद : पीलीभीत फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) भाग : 1
(1) खाता संख्या : 00266

श्रेणी : 6-1 / अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि ।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व :
1282/1	1) तालाब/./.	1) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील स्तर) /T202312560103211 /14-02-2024 /दुरस्ती (संशोधन से)	.	1282/1(2175311282000061)	0.9750	1) -	1) 0.9750	0.00
							0.9750	

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव नौ सात पाँच शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - शून्य दशमलव नौ सात पाँच शून्य (हेक्टेयर)

नामान्तरण / खातेदार की श्रेणी परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद	(11) नाम/पिता-पति-	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

14/Jan/2025 14:28:53

ग्राम क्रमांक : 217531 ग्राम का नाम (परगना) : देशनगर अन्दर चुंगी (पीलीभीत) तहसील : पीलीभीत जनपद : पीलीभीत फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) भाग : 1

(1) खाता संख्या : 00266

संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)			कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)		
1) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील स्तर) /T202312560103211 /14-02-2024 /दुरस्ती (संशोधन से) /LAXMI PRASAD PANDEY (REVENUE INSPECTOR) /15-02-2024	1.1) ---/---/--- (शेष क्षेत्रफल : 0.0000)	1282/1(2175311282000061)	1.1) 0.9750	1.1) तालाब/./.	1282/1(2175311282000061)	1.1) 0.9750

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

14/Jan/2025 14:28:53

ग्राम क्रमांक : 217531 ग्राम का नाम (परगना) : देशनगर अन्दर चुंगी (पीलीभीत) तहसील : पीलीभीत जनपद : पीलीभीत फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) भाग : 1

(1) खाता संख्या : 00266

पूर्व आदेशों का विवरण

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अघतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

(8) प्रत्येक वर्ष के अंत में क्षेत्रफल और मालगुजारी या लगान में विगत वर्ष से आधिक्य या न्यूनता के स्तम्भ 7, 8, 9, 10, 11 या 12 में जैसी भी दशा हो, परिच्छेद क-148 में उल्लिखित जोड़ों के सामने लाल स्याही से लिख दिया जायेगा, जिससे कि परिच्छेद 166 में उल्लिखित खातों, मालगुजारी और लगानों के विवरण-पत्र षटवार्षिक के प्रत्येक वर्ष में तैयार किये जा सकें।]

क-124. खातों (जोतों) की व्यवस्था—खतौनी में प्रत्येक ग्राम की भूमि की व्यवस्था निम्नलिखित प्रकार की होगी—

भाग 1

(1) ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा [1][ग्राम सभा] या अन्य कोई स्थानीय अधिकारिकी (local authority) जिसे 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117-क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो, खेती करता हो।

टिप्पणी—[1][ग्राम सभा] द्वारा या अन्य कोई स्थानीय अधिकारिकी द्वारा इस भाग में सामूहिक उद्यान या बाग लगाना, इत्यादि भी आते हैं, जिसे 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117-क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो—

(1-क) भूमि जो—
भूमिधरों के अधिकार में हो,

(1-ख) ऐसी भूमि जो सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 (Government Grants Act, 1895) के अन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो।

(2) भूमि जो सीरदार के अधिकार में हो।

(3) भूमि ज़ो असामियों के अध्यासन या अधिकार में हो, जो :

(क) निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर पशुचर भूमि के या ऐसी जलमग्न भूमि के, जो सिंघाड़ा या उसी प्रकार की अन्य चीजें पैदा करने के काम में लाई जाती हों, या नदी के तल की भूमि के जो आकस्मिक अवसरों पर या कभी-कभी खेती के काम में लाई जाती हों, गैर दखीलकार काश्तकार के रूप में हो;

(ख) ऐसी भूमि के गैर दखीलकार काश्तकार के रूप में हो, जिसे राज्य सरकार ने निहित होने के दिनांक से पूर्व गजट में विज्ञप्ति द्वारा अस्थायी या अस्थिर कृषि के भूखण्ड (tract) के रूप में प्रख्यापित किया हो;

(ग) ऐसी भूमि के गैर दखीलकार काश्तकार के रूप में हो, जिसे राज्य सरकार ने निहित होने के दिनांक से पूर्व गजट में विज्ञप्ति द्वारा टोंग्या रीति से वन लगाने, सामूहिक उद्यानों या ग्रास फार्म या कूड़ा फेंकने के स्थान के लिए जो स्थानीय अधिकारियों की हो, के लिए अभिप्रेत या पृथक् रखी गयी भूमि प्रख्यापित किया हो;

(घ) ऐसे पट्टेदार के रूप में हो, जिसको उपर्युक्त उपखण्ड (क) से (ग) तक में उल्लिखित भूमि ग्राम सभा में निहित होने के दिनांक पर या उसके बाद पट्टे पर दी हो;

---

1. उ० प्र० भूलेख (संशोधन) नियमावली, 1988 द्वारा शब्द "गाँव समाज" के स्थान पर शब्द "गाँव सभा" तत्पश्चात् उ० प्र० अधिनियम संख्या 9 सन् 1994 द्वारा शब्द "गाँव सभा" के स्थान पर शब्द "ग्राम सभा" प्रतिस्थापित

(ङ) ऐसे ठेकेदारों के रूप में हो जो 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 13 की उपधारा (3) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन असामी हुआ हो;

(4) भूमि जो उस दशा में बिना आगम के अध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरे के स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्ति का नाम अभिलिखित न हो;

(4-क) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि—

(क) जो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपबन्धों के अधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिए किसी पट्टेदार (lessee) द्वारा रखी गयी हो (held);

(ख) अन्य भूमि।

टिप्पणी—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत अर्जित की गयी अतिरिक्त भूमि को जो स्थायी या अस्थायी रूप से पट्टे पर न उठाई गई हो, उपर्युक्त उपखण्ड (ख) के अन्तर्गत प्रदर्शित की जायेगी। इस भूमि के ब्यौरों को जैसे, नई परती, पुरानी परती, बंजर आदि सब को खतौनी में अभिलिखित करना आवश्यक नहीं है, लेकिन उन्हें खसरे में स्तम्भ 18 और 19 में अभिलिखित किया जायेगा जैसे कि जोत में सम्मिलित अकृष्ट भूमि की दशा में (2) (क) और (ख) का योग उपलब्ध कुल अतिरिक्त भूमि के बराबर होगा, जो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत अर्जित की गई हो।

(5) कृषि योग्य भूमि—

(1) नई परती (परती जदीद),

(2) पुरानी परती (परती कदीम),

(3) कृषि योग्य बंजर—

(क) इमारती लकड़ी के वन—

(1) जो वन विभाग के प्रबन्ध में हो (इसमें भूतपूर्व निजी वन भी सम्मिलित हैं, जो वन विभाग को सौंप दिये गये;

(2) ग्राम सभाओं में निहित।

(ख) ऐसे वन जिसमें अन्य प्रकार के वृक्ष झाड़ियों के झुंड, झाड़ियाँ इत्यादि हों।

(1) जो वन विभाग के प्रबन्ध में हों (इसमें भूतपूर्व निजी वन भी सम्मिलित हैं, जो वन विभाग को सौंप दिये गये);

(2) ग्राम सभाओं में निहित।

(ग) स्थायी पशुचर भूमि और चराई की अन्य भूमियाँ।

(घ) छप्पर छाने की घास तथा बांस की कोठियाँ।

(ङ) अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि।

टिप्पणी—(1) ऊपर के उपवर्ग (3) के अधीन किए गए वर्गीकरण के प्रयोजनों के लिए "इमारती लकड़ी के पेड़" का तात्पर्य ऐसे पेड़ से है, जिसका मूल्य इमारती प्रयोजनों के लिए मुख्यतः उसकी लकड़ी पर निर्भर है और उसके फलों या ऐसी हो उसकी किसी अन्य उपज पर नहीं।

इमारती लकड़ी वाले पेड़ों में साखू, सागौन, हसना, देवदार, हलदुआ, देशी आम (कलमी नहीं), नीम, शीशम, जामुन, असना, महुआ टुन, मलवरी, कदम, बांस, इमली, चीड़ (cypress), बबूल, आंवला, बेल, कटहल, खजूर, बेर, कैथा, ढाक, कीकड़, अमरा, बीजू आम तथा कनज (pongamia-glabra) इत्यादि पेड़ आते हैं। बरगद, पाकड़, पीपल, गूलर इत्यादि जैसे पेड़ इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं हैं।

(2) उपवर्ग (ख) (2) में बबूल, ढाक, सिहोर, वन करौंदा इत्यादि के वन सम्मिलित हैं।

(3) उपवर्ग (ग) में वन के क्षेत्रों की भी चराई की भूमियाँ सम्मिलित हैं।

(4) उपवर्ग (घ) के प्रयोजनों के लिए छप्पर छाने की घासों के उदाहरणों में बेर, नरकुल, पतवार, कांस, वैब इत्यादि आते हैं।

(6) आकृषिक भूमि (barren land)—

(1) जलमग्न भूमि;

(2) स्थल (sites) सड़कें, रेलवे, भवन और ऐसी दूसरी भूमियाँ जो अकृषिक (non-agricultural) उपयोगों के लिए काम में लाई जाती हैं;

(3) कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट), ऐसे कब्रिस्तानों और श्मशानों को छोड़कर जो खातेदारों की भूमि की या आबादी के क्षेत्र में स्थित हों;

(4) जो अन्य कारणों से अकृषिक हों।

टिप्पणी—(1) उपवर्ग (4) में ऐसी भूमि भी सम्मिलित होगी, जो बहुत बड़ी लागत के बिना कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती है।

(2) वर्ग (5) या वर्ग (6) के अधीन प्रविष्ट भारत संघ, राज्य सरकार, ग्राम सभा या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा धृत भूमि प्रशासनिक नियंत्रण एवं प्रबन्ध को इंगित करने के लिए भारत संघ या राज्य सरकार या ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के तत्सम्बन्धी विभागों के नामे, उनको क्रमशः क, ख, ग और घ के रूप में संख्यांकित करते हुए, अभिलिखित की जाएगी।

भाग 2

(7) भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकार में—

(क) निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर मध्यवर्ती के बाग के गैर दखीलकार काश्तकारों के रूप में हो;

(ख) निहित होने के दिनांक से ठीक पहले दिनांक पर बाग पर भूमि के शिकमी काश्तकारों के रूप में हो;

(ग) निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर यू० पी० टेनेन्सी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1947 की धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन शिकमी काश्तकारों के रूप में हो;

(घ) ऐसे व्यक्तियों के बन्धकियों के रूप में हो, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 19 के खण्ड (1) से (4) तक में उल्लिखित वर्गों में से किसी वर्ग के अन्तर्गत आते हैं;

(ङ) ऐसे व्यक्तियों के रूप में हो जिन्हें 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 11 में की गई व्यवस्था के अनुसार

SONBHADRA

4

सीर या खुदकाश्त, उन पर अधिकार रखने वाले व्यक्तियों द्वारा भरण-पोषण की वृत्ति के बदले में दी गई थी;

(च) ऐसे ठेकेदारों के रूप में हो, जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर ऐसी भूमि पर कृषि करते थे, जो 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में की गई व्यवस्था के अनुसार पट्टा देने वाले की सीर या खुदकाश्त थी;

(छ) धारा 21 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) में उल्लिखित भूमि के काश्तकार;

(ज) यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 की धारा 252 (1) के अधीन न्यायालय से प्राप्त खाते के पट्टेदार;

(झ) 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 21 (2) में अभिदिष्ट बाग-भूमि का काबिज (अध्यासीन);

(ञ) 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के निदेशों के अनुसार किसी भूमिधर या सीरदार द्वारा अपने खाते की उठाई हुई भूमि के पट्टेदार के रूप में हो।

(8) भूमि जो अधिवासियों के अधिकार में हो।

(9) भूमि के ऐसे अध्यासीन जिन्होंने, खसरे के स्तम्भ 4 में उल्लिखित व्यक्ति की सम्मति के बिना भूमि पर अधिकार कर लिया हो।

टिप्पणी—(1) अभिदेश की सुविधा के लिए 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 4 से 24 तक, जिनमें भूमिधर, सीरदार असामी और अधिवासियों के संबंध में विधि (law) विहित है, इस अध्याय के अन्त में उद्धृत की गई हैं।

(2) वर्ग (3) और (7) में उल्लिखित असामियों के उपवर्ग केवल पहली खतौनी में ही, जो निहित होने के दिनांक के बाद तैयार किया जाये, दिखाये जाने चाहिए। उसके बाद की खतौनियों में उपवर्गों को छोड़ देना चाहिए।

क-125. क्रम व्यवस्था— (1) भौमिक अधिकार या भूमि के प्रत्येक वर्ग या उपवर्ग को बताने वाले शीर्षक उसकी संख्या के सहित स्तम्भों के आरपार लाल स्याही से लिखा जाना चाहिये।

(2) यदि ग्राम में किसी विशेष वर्ग या उपवर्ग या भौमिक अधिकार या भूमि न हो तो भी तत्सम्बन्धी वर्ग या उपवर्ग का शीर्षक और उसकी संख्या लिखी जानी चाहिये और उसके आगे शब्द "कोई नहीं" लिख देना चाहिये। जब भौमिक अधिकार या भूमि के बहुत से वर्ग बराबर खाली हों, तो उनके संबंध में एक ही इन्दराज कर देना पर्याप्त होगा, जैसे—

वर्ग (3)	असामी	कोई नहीं
वर्ग (4)	बिना सम्मति के भूमि पर अध्यासीन व्यक्ति	

[1][**क-126. ऐसे खाते जिन पर संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर संयुक्त रूप से काबिज हैं**— जब किसी खाते पर दोनों वर्गों के भूमिधर संयुक्त रूप से अधिकार रखते हों, तो उस

1. उ० प्र० भूलेख (संशोधन) नियमावली, 1988 द्वारा परिच्छेद क-126 प्रतिस्थापित किया गया

9